१

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 85/2022

1. महावीर पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय, जिला अजमेर
2. ब्रह्मालाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय, जिला अजमेर
3. भंवरलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय, जिला अजमेर
4. सुगनी पत्नि रामलाल जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय, जिला अजमेर
5. कंवरी पत्नि गोपाल जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय, जिला अजमेर
6. बालू पुत्र किशन जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय, जिला अजमेर
7. रूधनाथ पुत्र किशन जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय, जिला अजमेर

बनाम

1. छगनलाल पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय, जिला अजमेर
2. सांवरलाल पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय, जिला अजमेर
3. खुशी पुत्री जीवराज जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय, जिला अजमेर
4. निशा पुत्री जीवराज जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय, जिला अजमेर
5. मोनिका पुत्री जीवराज जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय, जिला अजमेर
6. रानू पुत्री जीवराज जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय, जिला अजमेर
7. मन्जू पुत्री जीवराज जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय, जिला अजमेर
8. बाबूलाल पुत्र ईश्वर जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय, जिला अजमेर

9- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय, तहसील भिनाय अजमेर

अप्रार्थी

उपस्थितः— श्री शम्मी मोहम्मद प्रार्थी अधिवक्ता
श्री शिवकुमार जोशी अप्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 04.03.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम राताकोट पटवार हल्का राताकोट, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगावल तहसील भिनाय स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या 537 में दर्ज खसरा नं. 631 रकबा 0.23 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 344 में दर्ज खसरा संख्या 632 रकबा 0.26 व खसरा संख्या 633 रकबा 0.15 हैक्ट0 प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने—जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने—ले जाने हेतु ग्राम राताकोट पटवार हल्का राताकोट भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल स्थित अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा 02 की खातेदारी खसरा संख्या 629 तथा ग्राम राताकोट पटवार हल्का राताकोट भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल स्थित अप्रार्थीगण संख्या 03 लगायत 08 की खातेदारी खसरा संख्या 630 का वर्षो से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें है जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थी को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थी की भूमि पर आने—जाने के लिए इस रास्ते के

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी)

अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से 20 फीट चौडा रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 08 की और से अधिवक्ता श्री शिवकुमार जोशी द्वारा वकालतनाना तथा जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 व 02 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 629 और अप्रार्थीगण संख्या 3 व 08 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 630 में से प्रार्थी 3 मीटर चौड़ा रास्ता देने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार भिनाय द्वारा रिपोर्ट मय जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गई। प्रकरण में जवाब मय मौका रिपोर्ट पेश होने पर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना–पत्र धारा 251ए रा0का0अधि0 नियत की गई।

पत्रावली में बहस प्रार्थना–पत्र धारा 251ए सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए, अपनी आराजी खसरा संख्या तक रास्ता दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 08 की और से अधिवक्ता श्री शिवकुमार जोशी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र धारा 251ए अनुसार कथन करते हुए, निवेदन किया कि, प्राथीगण अपनी आराजी खसरा संख्या में आने–जाने बाबत् सदीम से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के संख्या 615 में से आते जाते रहे है। प्रश्नगत आराजीरात का अप्रार्थीगणों की अविभाजित आराजी है, जिसमें नवीन हक कायम किये जाने से अप्रार्थीगणों के साथ अन्याय होगा। पैरोकार सरकार ने जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 व 02 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 629 और अप्रार्थीगण संख्या 3 व 08 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 630 में से प्रार्थी 3 मीटर चौड़ा रास्ता देने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार भिनाय द्वारा रिपोर्ट मय जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गई। जिस पर प्रार्थी ने भी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात पैरोंकार सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 631 व 632 में जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 629 और 630 में से होकर ही आता–जाता है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251ए रा0का0अधि0 का अवलोकन किया गया, बहस पत्रावली पर मनन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि, प्रार्थीगणों को अपनी आराजी में जाने बाबत् अन्य कोई रिकॉर्डेड़ रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण, अप्राथीगण संख्या 1 तथा 2 के खसरा संख्या 629 तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 08 की खातेदारी आराजी संख्या 630 से आवागमन कर रहे है। अतः बाद अवलोकन तथा मनन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251ए अनुतोष होने से स्वीकार किया जाता है। चूंकि तहसीलदार भिनाय ने अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि यह रास्ता पुश्तैनी चला आ रहा है इसलिए निर्धारित नियमानुसार रास्ते हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि की दुगुनी लागत कायम करना ही उपयुक्त एवं न्यायोचित पाया जाता है। तहसीलदार भिनाय द्वारा ग्राम राताकोट की डी.एल.सी. दर 296075/– रू. प्रति हैक्टेयर बताई गई है। अतः ग्राम राताकोट स्थित अप्रार्थीगण संख्या

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

01 लगायत 02 के खातेदारी खसरा नं. 629 में से 204 वर्ग मीटर (68 मीटर लम्बा व 3 मीटर चौडा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 29.61 रू प्रति वर्ग मीटर राशि 12080/– रू. मुकर्रर की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 03 लगायत 08 के खातेदारी खसरा नं. 630 में से 192 वर्गमीटर (64 मीटर लम्बा व 3 मीटर चौडा)भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 29.61 रू. प्रति वर्ग मीटर राशि 11370/– रू. मुकर्रर की जाती हैं। तहसीलदार भिनाय नियमानुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 08 खातेदारों को मुकर्रर राशि का भुगतान जरिये प्रार्थी करावे। प्रार्थी खातेदार के लिए ग्राम राताकोट पटवार हल्का राताकोट, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगावल तहसील भिनाय स्थित खातेदारी खसरा नं. 629 में से 204 वर्ग मीटर एवं खातेदारी खसरा नं. 630 में से 192 वर्गमीटर भूमि से, प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 631 तक रास्ता/मार्गाधिकार कायम किये जाने के आदेश पारित किए जाते है तथा तहसीलदार भिनाय को उनके राजस्व नक्शें में वर्णित रास्ते की नियमानुसार तरमीम कर इन खसरा नं. का बट्टा नंबर कायम कर खाते सरकार किस्म रास्ते से लगाने के आदेश पारित किए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)